समक्ष हेमन्त गुप्ता और मोहिंदर पाल माननीय न्यायमूर्ति

करम सिंह, - याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ खंडपीठ, चंडीगढ़ और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2006 की संख्या 6022

1 फरवरी 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226--राज्य सरकार आईएएस में नियुक्ति के लिए अयोग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर रही है-न्यायाधिकरण ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया आयोग अयोग्य अधिकारियों के नाम हटाकर चयन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मांग रहा है - उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल को आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है - राज्य सरकार अयोग्य उम्मीदवारों के स्थान पर अन्य चार उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग कर रही है - आयोग अयोग्य उम्मीदवारों के स्थान पर नए अनुशंसाकर्ताओं को रखने की अनुमति नहीं दे रहा है और उनमें से केवल तीन का साक्षात्कार ले रहा है ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बल पर - याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल से संपर्क करने में विफल रहा - ट्रिब्यूनल का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को साक्षात्कार की तारीख के बारे में पता था क्योंकि उसी विभाग के उसके सहकर्मी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, पूरी तरह से गलत है - राज्य सरकार या आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को साक्षात्कार की तारीख के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई - याचिका की अनुमति, प्रतिवादी संख्या 7 की सिफारिश और नियुक्ति रद्द कर दिया गया.

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को न तो 24 अप्रैल, 2004 को चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था और न ही याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिया गया था। यह रिकॉर्ड में आया है कि सिफारिश और प्रतिवादी की नियुक्ति की अधिसूचना नं। 7 लंबित विभिन्न मामलों के निर्णय और उक्त प्रत्यर्थी नं. 7. उक्त आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। एक सामान्य नियम

के रूप में, सूची के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के साथ मिला दिया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी नं. 7 प्रत्यर्थी सं. 7 के दावे के निर्णय के बिना चयन समिति द्वारा। याचिका खारिज होने के बाद 7 चालू नहीं होगा। हालांकि, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है और एक तथ्य जो विवादित नहीं है, वह यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता योग्य उम्मीदवार की उपयुक्तता पर निर्णय नहीं लिया गया है।

(Para 26)

आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 7 केवल अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के आधार पर चयन सूची के प्रयोजनों के लिए चयन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र पाए गए हैं। आयोग ने पंजाब राज्य को चार अपात्र अधिकारियों के नामों को नए सिफारिशकर्ताओं के साथ बदलने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि यह न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना था। 20 सितंबर, 2004 को, जब प्रतिवादी नं. 7 ने अपने O.A. को वापस ले लिया, उक्त प्रतिवादी की पात्रता का कोई निर्णय नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी के नाम की सिफारिश नं। 7 याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किए बिना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

(Para 28)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता साक्षात्कार की तारीख 24 अप्रैल, 2004 के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि उसी विभाग के उसके सहयोगी उसके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और फिर भी उसने अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया उक्त तर्क पूरी तरह से गलत है। हालाँकि पंजाब सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को साक्षात्कार की तारीख 16 फरवरी, 2004 को सूचित की गई थी, लेकिन आयोग या पंजाब सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2004 को याचिकाकर्ता का साक्षात्कार करने के लिए कोई संचार नहीं किया गया था। दाखिल जवाब में दिए गए कथन के अनुसार, उस तारीख को चयन समिति विचार किए जाने वाले अधिकारियों की सूची पर मतभेद के कारण कोई कार्य नहीं कर सकी। आयोग द्वारा दाखिल जवाब से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 12 अप्रैल, 2004 के अपने पत्र के माध्यम से चयन समिति की बैठक में निर्धारण की मांग की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 12 अप्रैल, 2004 को भी राज्य सरकार को निर्धारित तिथि की जानकारी नहीं थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को आयोग या राज्य सरकार द्वारा विचार की तारीख के बारे में सूचित नहीं किया गया है। यदि प्रत्यर्थी नं. 7 या दो अन्य उम्मीदवारों को चयन समिति की बैठक के बारे में पता चला है और उन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है, उस आधार पर बैठक की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं दी जा सकती है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने नहीं बल्कि अन्य उम्मीदवारों ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, वास्तव में बैठक की जानकारी की कमी को दर्शाता है। अन्यथा भी, धारणाओं, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, बैठक की तारीख की जानकारी का श्रेय याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है।

(Para 29)

अश्विनी पराशर, याचिकाकर्ता के वकील।

सुवीर सहगल, एडिशनल। प्रतिवादी के लिए महाधिवक्ता, पंजाब नं. 3.

एन. एस. विर्क, प्रतिवादी नं. 4.

राजीव आत्मा राम, बी. एन. एस. शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 7. अक्षय भान, प्रतिवादी नं. 8.

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती 3 फरवरी, 2006 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा पारित आदेश के लिए है, अनुलग्नक पी-15, जिसके तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) वर्तमान रिट याचिका में विवाद I.A.S के नियम 4 (2) (b) के संदर्भ में पंजाब राज्य सरकार के गैर-राज्य सिविल सेवा संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (इसके बाद "I.A.S". के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लिए वर्ष 1999 की दो रिक्तियों का है। (भर्ती) I.A.S के विनियमन 3 के साथ पढ़ें नियम। (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम 1997 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)|

(3) हालांकि प्रारंभ में, उक्त दो रिक्तियों के संबंध में कुछ विवाद था, जैसा कि वर्ष 1998 और 1999 में प्रत्येक में आने वाली एक या वर्ष 1999 में आने वाली दो रिक्तियों के संबंध में था, लेकिन उक्त विवाद अब जीवित नहीं रहता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि दो रिक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार ने I.A.S. में नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। 7/8 अक्टूबर, 1999 को वर्ष 1999 के थे।

(4) याचिकाकर्ता को वर्ष 1979 में पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के अनुसरण में सहकारी समितियों, पंजाब के सहायक पंजीयक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 30 सितंबर, 1988 को प्रथम श्रेणी के पद पर सहकारी समितियों, पंजाब के उप-पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें जुलाई, 1993 में संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों, पंजाब और मार्च, 2001 में अतिरिक्त पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 1 जनवरी, 1999 को 10 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान की है और उसकी आयु 47 वर्ष थी और इस प्रकार वह I.A.S. के संवर्ग में नियुक्ति के लिए पात्र है।

(5) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 25 जून, 1999 को पंजाब सरकार द्वारा I.A.S. में नियुक्ति के लिए उपयुक्त गैर-राज्य अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। राज्य सरकार ने दो रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार के लिए 10 नामों की सिफारिश की। न तो याचिकाकर्ता का नाम और न ही प्रतिवादी नं। 7 की सिफारिश की गई। अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में,

चार नाम थे जो याचिकाकर्ता के अनुसार अयोग्य थे क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों के पास कक्षा-I पद पर 8 वर्ष का अपेक्षित अनुभव नहीं था, या 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे।

(6) राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशें मूल आवेदन संख्या में चुनौती का विषय बन गईं। पंजाब राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) अधिकारी संघ के निर्देश पर 1999 का 210/सीएच। उक्त मूल आवेदन में, 12 नवंबर, 1999 को न्यायाधिकरण ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। 23 दिसंबर, 1999 को ठहरने की छुट्टी के लिए आवेदन भी अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त आदेश सिविल रिट याचिका नं. इस न्यायालय के समक्ष 9000 का 945-सीएटी। इस न्यायालय ने 12 नवंबर, 1999 और 23 दिसंबर, 1999 को अधिकरण द्वारा पारित आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा दी। आयोग ने उपर्युक्त रिट याचिका में एक विविध आवेदन दायर किया है जिसमें आयोग को अयोग्य अधिकारियों को हटाने के बाद वर्ष 2002 के लिए चयन विनियमों के अनुसार चयन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। रिट याचिका को 21 अप्रैल, 2003 को अनुमति दी गई थी और निम्नलिखित परिचालन आदेश पारित होने पर आवेदन का निपटारा कर दिया गया था। "परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। न्यायाधिकरण को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर मूल आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले को छोड़ने से पहले, हम यह निरीक्षण करना उचित समझते हैं कि भले ही इस न्यायालय ने 6 मार्च, 2000 को विवादित आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी थी, राज्य सरकार और आयोग ने I.A.S. में भर्ती के लिए चयन को अंतिम रूप नहीं दिया है। गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में से। हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के जवाब में, श्री सलिल सागर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने सक्षम प्राधिकारी से निर्देश लेने के बाद कहा कि 3 सप्ताह के भीतर, राज्य सरकार I.A.S. में भर्ती के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के चयन के लिए आयोग को उचित प्रस्ताव के साथ सभी संबंधित कागजात, डेटा भेजेगी। श्री अजय लांबा ने कहा कि आयोग चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा और अगले 6 सप्ताह के भीतर सिफारिशें करेगा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण के समक्ष आक्षेपित चयन के आधार पर इसके पश्चात् की गई नियुक्तियां, यदि कोई हों, मूल आवेदनों के अंतिम निर्णय के अधीन रहते हुए "रोक" बनी रहेंगी और इस तथ्य को नियुक्ति के आदेश में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपर्युक्त आदेश में उल्टे अल्पविराम में उल्लिखित "रोक" शब्द को राज्य सरकार द्वारा समीक्षा आवेदन में 3 जुलाई, 2004 को हटाने का आदेश दिया गया था। नतीजतन, चयन प्रक्रिया जारी रह सकती थी लेकिन नियुक्तियां न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मूल आवेदन के अंतिम निर्णय के अधीन थीं।

(8) यह न्यायालय सिविल विविध पर 23 जनवरी, 2004 को। नं. पंजाब राज्य द्वारा दायर 2003 का 27173 निम्नलिखित प्रभाव से देखा गयाः -

".... और प्रथम दृष्टया आश्वस्त हैं कि राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के संबंधित अधिकारियों ने गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 21 अप्रैल, 2003 को अपने संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अधिकारी पात्र थे और 1999 में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार थे, उन्हें नियमों के अनुसार उनका बकाया नहीं मिला है और राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग दोनों द्वारा उनके अधिकारों को विफल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के आदेशों और 23 जनवरी, 2004 के उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, आयोग ने राज्य सरकार से आयोग को उपयुक्त प्रस्ताव के साथ प्रासंगिक कागजात, डेटा भेजने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने दिनांक 29 जनवरी, 2004 के पत्र के माध्यम से आयोग से अनुरोध किया कि वह इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 7 अक्टूबर, 1999 के पत्र का संदर्भ आमंत्रित करते हुए चयन समिति को जल्द से जल्द बुलाए, जिसमें वर्ष 1999 के लिए 10 अधिकारियों का मूल प्रस्ताव भेजा गया था।

(10) सर्व श्री जमैल सिंह, गुरशरण सिंह was.son, डी. एस. चीमा और जी. एस. रंधावा ने इस प्रार्थना के साथ अलग-अलग आवेदनों द्वारा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया कि उन्हें I.A.S. में चयन के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। 16 फरवरी, 2004 को चयन समिति द्वारा। न्यायाधिकरण ने आयोग के दिनांक 12 फरवरी, 2004 के पत्र, अनुलग्नक पी-2 के आधार पर, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा 1999 में मूल रूप से प्रस्तावित सभी 10 अधिकारियों को साक्षात्कार और मूल्यांकन के लिए बुलाया जा रहा था, 13 फरवरी, 2004 को आवेदनों को खारिज कर दिया।

(11) 12 फरवरी, 2004 को राज्य सरकार ने चार अपात्र उम्मीदवारों, अर्थात् सर्व को बदलने का निर्णय लिया। श्री जमैल सिंह, जी. एस. वासन, डी. एस. चीमा और जी. एस. रंधावा निम्नलिखित गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा:- 1. श्री वी. एन. माथुर

2. श्री हरभजन सिंह

3. श्री वी. के. शर्मा

4. श्री के. एस. पलाने

दिनांक 12 फरवरी, 2004 को राज्य सरकार का उक्त संचार आयोग द्वारा 13 फरवरी, 2004 को प्राप्त किया गया था, यानी 16 फरवरी, 2004 को चयन समिति की बैठक की निर्धारित तिथि से पहले। 16 फरवरी, 2004 को हुई चयन समिति की बैठक में विचार किए जाने वाले अधिकारियों की सूची पर मतभेद के कारण कोई कार्य नहीं हो सका।

(12) तत्पश्चात, राज्य सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के पत्र द्वारा आयोग से चयन समिति की बैठक निर्धारित करने का अनुरोध किया। I.A.S. में गैर-राज्य सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए 1999 की

चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 7/8 अक्टूबर, 1999 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों पर विचार करने के लिए चयन समिति की बैठक 24 अप्रैल, 2004 को निर्धारित की गई थी। पंजाब का संवर्ग।

(13) इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह आयोग का रुख था कि जिन उम्मीदवारों की वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, उनसे इस न्यायालय के निर्देशों के बीच में न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। 945-2000 का कैट। आयोग राज्य सरकार द्वारा की गई चार उम्मीदवारों की सिफारिशों पर विचार नहीं कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं। 7, उस योग्य उम्मीदवार के रूप में चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार करने के लिए विचार किया जाएगा।

(14) हालांकि, 24 अप्रैल, 2004 को चयन समिति की बैठक से पहले, उन उम्मीदवारों द्वारा तीन मूल आवेदन दायर किए गए थे, जिनके नाम राज्य सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2004 को अनुशंसित किए गए थे, अर्थात्, सर्वश्री वी. एन. माथुर, हरभजन सिंह और वी. के. शर्मा। न्यायाधिकरण ने आयोग को निर्देश दिया कि वह उक्त आवेदकों को I.A.S. के चयन में भाग लेने की अनुमति दे। अनंतिम आधार पर 24 अप्रैल, 2004 के लिए निर्धारित-दिनांक 23 अप्रैल, 2004 के आदेश द्वारा। प्रत्यर्थी को आगे चयन की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अगले आदेश तक इस तरह के चयन के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर, चयन समिति ने राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 10 अधिकारियों के अलावा तीन अधिकारियों पर विचार किया।

(15) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे 24 अप्रैल, 2004 के लिए निर्धारित चयन समिति की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए, वह न्यायाधिकरण की अधिकारिता का आह्वान नहीं कर सका और अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं कर सका जैसा कि अन्य समान रूप से स्थित आवेदकों द्वारा किया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को चयन समिति की बैठक की किसी भी तिथि के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी, 2004 की बैठक के लिए किया गया था-13 फरवरी, 2004 के पत्र, अनुलग्नक पी-7 के माध्यम से। यह प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता और अन्य तीन उम्मीदवार चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए चार अयोग्य उम्मीदवारों की जगह ले सकते हैं, आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा तथ्य अनुलग्नक आर 7/1 के रूप में संलग्न चयन समिति के कार्यवृत्त और इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका पर आयोग द्वारा दायर उत्तर से स्पष्ट है। 24 अप्रैल, 2004 को चयन समिति ने उत्तरदाता नं. 7 और 8. उक्त बैठक के कार्यवृत्त का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः -

"7.1 समिति को यह भी सूचित किया गया था कि बाद में पंजाब सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2004 (13 फरवरी, 2004 को प्राप्त) i.e. में, 16 फरवरी, 2004 को चयन समिति की बैठक से पहले, 10 Non-S.C.S के पैनल में से कहा था। अधिकारी, चार अधिकारी अर्थात् सर्वश्री जरनैल सिंह, जी. एस. वासन,

डी. एस. चीमा और जी. एस. रंधावा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और तदनुसार राज्य सरकार ने उनकी सिफारिशों को वापस ले लिया था। 12 फरवरी, 2001 के अपने उपरोक्त पत्र के माध्यम से, राज्य सरकार ने इन चार अपात्रों को निम्नलिखित Non-S.C.S. द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया। अधिकारीः-(i) श्री वी. एन. माथुर, (ii) श्री हरभजन सिंह, (iii) श्री वी. के. शर्मा, (iv) श्री के. एस. पलानी।

7.2 विचार किए जाने वाले अधिकारियों की सूची पर मतभेद के कारण, चयन समिति 16 फरवरी, 2004 को कोई कार्य नहीं कर सकी। 8. समिति को आगे सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने अपने दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के पत्र के माध्यम से आयोग से अनुरोध किया है कि वह सीडब्ल्यूपी संख्या में 21 अप्रैल, 2000 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चयन समिति की बैठक तय करे। 945/सीएटी/2000। तदनुसार, इस समिति ने आज Non-S.C.S पर विचार करने के लिए बैठक की है। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित अधिकारी,-गैर-S.C.S की नियुक्ति के लिए 1999 की चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 7/8 अक्टूबर, 1999 के अपने पत्र को देखें। I.A.S. के अधिकारी। पंजाब का संवर्ग।

9.1 समिति को सूचित किया गया कि न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में वर्ष 1999 के लिए चयन किए जा रहे हैं, गैर-S.C.S की पात्रता। अधिकारियों की गणना 1 जनवरी, 1999 को योग्यता सेवा आदि के लिए की जानी चाहिए। नियमों और विनियमों के अनुसार। समिति को सूचित किया गया कि आयोग समिति के समक्ष रखे जाने से पहले अधिकारियों की पात्रता पर राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच करता है। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने 17 अगस्त, 2001 को एक आदेश जारी किया था जिसमें चयन विनियमों के प्रयोजनों के लिए पदों को डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित किया गया था।

9.2 समिति को सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के निर्णय के अनुसरण में सीडब्ल्यूपी सं. 945/CAT/2000, Non-S.C.S की पात्रता का मुद्दा। इस मामले पर उसके समक्ष लंबित OAs में माननीय CAT में अधिकारियों पर निर्णय लिया जाना है, और इस प्रकार Non-S.C.S की पात्रता का मुद्दा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के दिनांक 17 अगस्त, 2001 के आदेश और विनियमों के प्रावधानों के संबंध में प्रस्तावित अधिकारियों को इस समय संबोधित नहीं किया जा रहा है।

9.3 इसके अतिरिक्त, ओ. ए. एन. ओ. में दिनांक 13 फरवरी, 2004 के माननीय कैट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए। ओ. ए. एन. ओ. में 105/सीएच/2004 और 106/सीएच/2004 और 10 मार्च, 2004। 27/पीबी/2004, दिनांक 7 अक्टूबर, 1999 के राज्य सरकार के पत्र में सूचीबद्ध सभी अधिकारियों को समिति द्वारा विचार किया जाना है। यह भी बताया गया कि इन 10 अधिकारियों में से एक अधिकारी श्री बृजमोहन महाजन राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

9.4 समिति को यह भी सूचित किया गया कि आयोग को ओ. ए. एन. ओ. में पारित माननीय कैट, चंडीगढ़ पीठ के 23 अप्रैल, 2004 के सामान्य अंतरिम आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई है। 373/CH/2004 (वी. के. शर्मा बनाम UOI और अन्य) और OANO। 374/सीएच/2004 (V. N. Mathur and Harbhajan Singh

versus UOI and Others). माननीय न्यायाधिकरण ने U.P.S.C. को निर्देश दिया है। आवेदकों को I.A.S के चयन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए। अनंतिम आधार पर 24 अप्रैल, 2004 को निर्धारित। इसके अलावा, उत्तरदाताओं को चयन की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अगले आदेश तक इस तरह के चयन के आधार पर वास्तव में व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
समिति को सूचित किया गया कि तीन (03) आवेदक। वी. के. शर्मा, वी. एन. माथुर और हरभजन सिंह को राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 10 अधिकारियों के अतिरिक्त उपरोक्त ओए में विचार करने की आवश्यकता है-उनके 7 अक्टूबर, 1999 के पत्र के अनुसार। इन अधिकारियों पर विचार इन O.As के परिणाम के अधीन होगा।

10. xx xx xx xx 11. चयन समिति ने उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित 10 अधिकारियों के सेवा अभिलेखों की जांच की और उनका साक्षात्कार भी लिया। साक्षात्कार में सेवा रिकॉर्ड और प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर, समिति ने I.A.S. में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित दो अधिकारियों का चयन किया। और उनके नाम निम्नलिखित क्रम में रखेः -

सर नं.	नाम (Sarvshri)	जन्म तिथि
1	वी. के. शर्मा	10 फरवरी, 1955
2	धरमजीत सिंह ग्रेवाल	1 जनवरी, 1955

12. समय की कमी के कारण, राज्य सरकार अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही की नवीनतम स्थिति, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सकी, जो चयन समिति द्वारा मुख्य सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र पर विचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ लंबित है। चयन समिति की ये सिफारिशें आगे राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के अधीन होंगी।

13. माननीय उच्च न्यायालय, दिनांक 21 अप्रैल, 2003 के आदेशों के अनुसरण में, अधिकरण के समक्ष आक्षेपित चयन के आधार पर इसके पश्चात् की गई नियुक्ति, यदि कोई हो, मूल आवेदन के अंतिम निर्णय के अधीन रहते हुए रोक दी जाएगी और इस तथ्य को नियुक्ति के आदेश में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त चयन निम्नलिखित मामलों के परिणाम के अधीन हैंः(i) O.A. नं. 210/सीएच/1999 पंजाब सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा दायर।
(ii) O.A. नं. 1044/सीएच/1999 श्री हरकेश सिंह सिद्धू द्वारा दायर।
(iii) O.A. नं. 1204/पीबी/एल 999 श्री सुखचरण सिंह बरार द्वारा दायर।
(iv) O.A. नं. 371/CH/2004 (V.K. शर्मा) (v) O.A. नं. 374/CH/2004 (V.N. माथुर और हरभजन सिंह) "

(16) उक्त कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलता है कि आयोग ने राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 10 नामों पर विचार किया है-दिनांक 7/8 अक्टूबर, 1999 के पत्र द्वारा और गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की पात्रता के मुद्दे को न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की अयोग्यता के मुद्दे की जांच नहीं की गई। इसके अलावा, चयन समिति ने तीन प्रतिस्थापित उम्मीदवारों पर उनके द्वारा दायर मूल आवेदन के परिणाम के अधीन विचार किया।

(17) इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद, 21 अप्रैल 2003 को पारित आदेश के संशोधन के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। इस तरह के आवेदन पर, "स्टे" शब्द को 3 जुलाई, 2004 को हटा दिया गया था। "रोक" शब्द को हटाए जाने के बाद, आयोग ने 20 सितंबर, 2004 को सिफारिशों को अधिसूचित किया।- वीडियो संलग्नक पी-1. प्रत्यर्थी सं. के नाम की सिफारिश करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन के परिणामस्वरूप। 7 I.A.S. को नियुक्ति के लिए, उक्त प्रतिवादी ने अपना आवेदन वापस ले लिया (OA No. 373/CH/2004) जबकि दो अन्य उम्मीदवार, अर्थात्, श्री V.N. माथुर और श्री हरभजन सिंह ने 20 सितंबर, 2004 को आवेदन वापस ले लिया। 20 सितंबर, 2004 का आदेश इस प्रकार हैः
"जुड़े हुए O.A. में। नं. 373/CH/2004, यह बार में कहा गया है कि कई उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद, श्री V.K. शर्मा और श्री D.S. ग्रेवाल को U.P.S.C द्वारा चयनित उम्मीदवारों के पैनल में रखा गया है। I.A.S. में नियुक्ति के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी से। वर्तमान मामले में दो आवेदक अर्थात् श्री V.K. माथुर और श्री हरभजन सिंह ने प्रतिवादी नं. 2 I.A.S को विचार और नियुक्ति के लिए अपने नाम अग्रेषित करने के लिए। उन अधिकारियों में से जो राज्य सिविल सेवा के सदस्य नहीं हैं। अंतर्वर्ती आदेशों के अनुपालन में, दिनांक 23 एपिल, 2004। इन दोनों आवेदकों को U.P.S.C द्वारा एक साक्षात्कार के माध्यम से विधिवत विचार किया गया था। लेकिन चयनित उम्मीदवार के पैनल में नहीं रखा गया था। हमारी राय

में, इस O.A में की गई प्रार्थना के अनुसार उन्हें विधिवत माना गया है। वर्तमान O.A. U.P.S.C द्वारा इस तरह के विचार से उन्हें निष्फल कर दिया गया है। वे I.A.S. में नियुक्त व्यक्तियों पर रखे गए उम्मीदवारों के चयन को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे। 24 अप्रैल, 2004 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर।

(18) याचिकाकर्ता, एक प्रतिस्थापित उम्मीदवार, ने इस स्तर पर न्यायाधिकरण की अधिकारिता को इस आधार पर लागू किया कि चयन प्रक्रिया अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ता को मूल्यांकन के लिए नहीं बुलाया गया है, भले ही राज्य सरकार द्वारा उसकी सिफारिश की गई हो। (19) विद्वत अधिकरण ने अपनी-अपनी दलीलों के आधार पर अधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित 8 प्रश्न बनाएः-

(i) क्या I.A.S. में गैर-SCS अधिकारियों को शामिल करने के लिए दो वैकेंसी थीं। वर्ष 1999 के लिए या वर्ष 1998 और 1999 के लिए एक-एक रिक्ति?

(ii) क्या चार व्यक्तियों को U.P.S.C. द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, अर्थात् श्री जमाल सिंह (आवेदक) श्री G.S. Wason, श्री D.S. चीमा और श्री G.S. रंधावा, भर्ती नियमों और नियुक्ति विनियमों के संदर्भ में पात्र थे और कहाँ किसी भी न्यायालय ने उन्हें पात्र घोषित किया था?

(iii) क्या राज्य सरकार अयोग्य अधिकारियों के स्थान पर पात्र अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य थी, जिनके नाम संबंधित विभागों द्वारा भेजी गई दूसरी सूची में पहले ही भेजे जा चुके थे, जो अक्टूबर, 1999 में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में नहीं आ सकते थे?

(iv) O.A. को वापस लेने का कानूनी प्रभाव क्या है? वर्तमान प्रतिवादी श्री V.K द्वारा दायर किया गया। शर्मा?

(v) O.A. की वापसी। श्री V.K. शर्मा के ऊपर उल्लिखित चार व्यक्तियों की पात्रता को स्वीकार करने का प्रभाव हो सकता है, और क्या यह वर्तमान कार्यवाही के लिए रेस जुडिकाटा के रूप में काम कर सकता है?

(vi) क्या श्री K.S. के नाम पर विचार नहीं किया गया है। पेन, पूरे चयन को खराब कर देता है?

(vii) क्या चयन कानून के प्रावधानों के अनुरूप कुछ मानदंडों पर आधारित था?

(viii) क्या निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति, श्री V.K. शर्मा और श्री D.S. ग्रेवाल कानूनी और वैध है?

(20) प्रश्न No.l के संबंध में कोई विवाद नहीं है। हालांकि, प्रश्न संख्या के संबंध में। 2, अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि सर्व श्री जमैल सिंह, जी. एस. वैसन और जी. एस. नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों के संदर्भ में रंधावा अयोग्य थे, यह भी अब विवाद में नहीं है। प्रश्न संख्या के संबंध में। 3, ट्रिब्यूनल ने पाया कि राज्य सरकार पात्र अधिकारियों द्वारा अयोग्य अधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए बाध्य थी i.e., याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नं। 7, V.N. माथुर और हरभजन सिंह।

(21) इसलिए, ऐसे निर्विवाद तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि चार सिफारिशकर्ताओं की पात्रता के प्रश्न को न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निपटाया गया था। उक्त आदेश में ही, यह पाया गया कि राज्य सरकार पात्र अधिकारियों यानी i.e. के साथ अयोग्य

अधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए बाध्य थी, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी मो। 7. इसलिए, यह प्रतिस्थापित उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आयोग पर बाध्य था i.e., याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नं। 7, V.N. माथुर और हरभजन सिंह। आगे यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 24 अप्रैल, 2004 को चयन समिति द्वारा उपयुक्तता का आकलन करने के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए, पूरी चयन प्रक्रिया दूषित है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि एक बार सर्व श्री V.K. शर्मा, V.N. माथुर और हरभजन सिंह का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा उनके द्वारा दायर आवेदन में पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में किया गया था और एक बार जब वे अपना मूल आवेदन वापस ले लेते हैं, तो चयन आयोग द्वारा उनका विचार आधार पर आता है क्योंकि यह केवल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर था, उनकी उपयुक्तता का आकलन किया गया था। चूंकि श्री V.K के अधिकारों पर कोई निर्णय नहीं है। शर्मा ने अपने मूल आवेदन में दायर किया, इसलिए, श्री V.K. शर्मा को पैनल में शामिल नहीं किया जा सका। यहां तक कि चयन समिति की सिफारिशें भी लंबित आवेदन के अधीन हैं जो चयन समिति के कार्यवृत्त और अधिसूचना से स्पष्ट है संलग्नक पी-1.

(22) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम M.P. राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। और अन्य[1] यह तर्क देने के लिए कि अंतरिम आदेश मुख्य याचिका के निर्णय के साथ समाप्त हो जाता है और इसलिए, प्रतिवादी नं। 7 को नियुक्ति के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सका और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई।

(23) पंजाब राज्य की ओर से, श्री सुवीर सहगल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने कहा कि यह विकल्प था, 12 फरवरी, 2004 को पहली बार पंजाब सरकार ने याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नं। I.A.S. में नियुक्ति के लिए चयन सूची तैयार करने के प्रयोजनों के लिए आयोग के विचार के लिए 7 और दो अन्य उम्मीदवार। दूसरी ओर, आयोग के विद्वान वकील श्री विर्क ने कहा कि आयोग ने इस न्यायालय और अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन किया है और इसलिए चयन प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है।

(24) तथापि, प्रत्यर्थी की ओर से सं. 7, यह जोरदार तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया से अवगत था और चयन समिति द्वारा निर्धारित 24 अप्रैल, 2004 के रूप में साक्षात्कार की तारीख से अवगत था। सहकारिता विभाग में काम करने वाले दो अतिरिक्त रजिस्ट्रारों ने चयन समिति की बैठक आयोजित

[1] (1) (2003) 8 S.C.C. 648

होने से पहले न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू किया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने अधिकार पर ध्यान दिया है और प्रासंगिक समय पर न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता इस स्तर पर विचार के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। शिव शंकर और अन्य बनाम निदेशक मंडल, यूपीएसआरटीसी और एक अन्य,[2] पर यह तर्क देने के लिए कि मूल आवेदन को निष्फल के रूप में खारिज करने से याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जब अंतरिम आदेश के आधार पर उनका चयन किया गया था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने हर्षेंद्र चौबीसा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य पर भी भरोसा किया,[3] कि प्रत्यर्थी नं। 7 हस्तक्षेप न करें।

(25) पक्षकारों के विद्वान वकील को कुछ देर तक सुनने के बाद, निर्विवाद तथ्य यह है कि वर्ष 1999 की दो रिक्तियों के लिए राज्य सरकार ने 10 नामों की सिफारिश की थी। उक्त नामों में से चार उम्मीदवार आयोग की राय में शुरू में पात्र नहीं थे। राज्य सरकार ने ऐसे चार उम्मीदवारों के स्थान पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 7. आयोग ने प्रतिस्थापित उम्मीदवारों को योग्य उम्मीदवारों के रूप में नहीं माना है और न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बल पर उनमें से तीन का साक्षात्कार लिया है। 3 फरवरी, 2006 को अधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर ही यह पाया गया कि ऐसे चार अपात्र उम्मीदवारों को पात्र उम्मीदवारों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं. 7.
(26) जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या चयन समिति द्वारा 24 अप्रैल, 2004 को अपनी बैठक में याचिकाकर्ता पर विचार न करने से प्रतिवादी सं. न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बल पर नियुक्ति के लिए 7 की सिफारिश की गई है। याचिकाकर्ता को न तो 24 अप्रैल, 2004 को चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए बुलाया गया था और न ही याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिया गया था। यह रिकॉर्ड में आया है कि सिफारिश और प्रतिवादी की नियुक्ति की अधिसूचना नं। 7 लंबित विभिन्न मामलों के निर्णय और उक्त प्रत्यर्थी नं. 7. उक्त आवेदन को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। एक सामान्य नियम के रूप में, एल. आई. एस. के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम आदेश का अंतिम आदेश के साथ विलय कर दिया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी नं. 7 प्रत्यर्थी सं. 7 के दावे के निर्णय के बिना चयन समिति द्वारा। याचिका खारिज होने के बाद 7 चालू नहीं होगा। हालांकि, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है और एक तथ्य जो विवादित नहीं है, वह यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता योग्य उम्मीदवार की उपयुक्तता पर निर्णय नहीं लिया गया है। वास्तव में, शिव शंकर के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया कि वास्तव में, एक अंतरिम आदेश के आधार पर, रिट याचिका की अनुमति दी गई है। इसलिए, अवशोषण का क्रम एक अंतरिम आदेश के रूप में नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान मामले में, चयन समिति की सिफारिशें और बाद की अधिसूचना प्रत्यर्थी नं। 7.

[2] (2) 1995 Suppl. (2) S.C.C. 726
[3] (3) AIR 2002 S.C. 2897

उन्होंने आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। अतः जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उससे प्रत्यर्थी नं. 7 यहाँ।

(27) हर्षेंद्र चौबीसा के मामले में (उपर्युक्त) माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव पर विचार कर रहा था कि क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को संभावित रूप से दिया जाना है। यह भी पाया गया कि जब प्रभावी दलों को शामिल नहीं किया जा रहा है तो पूरे चयन को अलग नहीं रखा जा सकता है। निर्णय को पढ़ने से प्रत्यर्थी नं. 7 को तब तक संरक्षित किया जाना चाहिए जब तक आयोग उपयुक्तता पर पुनर्विचार नहीं करता है क्योंकि आयोग को उनकी उपयुक्तता का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए पक्षकारों को दायर करने के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं। 7 एक ही आधार पर उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित किया गया है और इसलिए, प्रत्यर्थी नं. 7 आई. ए. एस. के सदस्य के रूप में बने रहेंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी नं. 8 योग्य उम्मीदवारों में से एक थे, जिनके नामों की मूल रूप से सिफारिश की गई थी, और इसलिए, उनकी सिफारिश और नियुक्ति को इस स्तर पर अलग रखने की आवश्यकता नहीं है।

(28) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नं। 7 केवल अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के आधार पर चयन सूची के प्रयोजनों के लिए चयन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र पाए गए हैं। आयोग ने पंजाब राज्य को चार अपात्र अधिकारियों के नामों को नए सिफारिशकर्ताओं के साथ बदलने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि यह न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना था। 20 सितंबर, 2004 को, जब प्रतिवादी नं. 7 ने अपना O.A. वापस ले लिया। नं. 373/सीएच/2004, उक्त प्रत्यर्थी की पात्रता का कोई निर्णय नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी के नाम की सिफारिश नं। 7 याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किए बिना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आयोग की सिफारिशें मूल आवेदन सं. 210/सीएच/1997 जो उस समय लंबित था, हालांकि उसे 26 अगस्त, 2004 को खारिज कर दिया गया है।

(29) न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता को 24 अप्रैल, 2004 की तारीख के बारे में पता था और यह भी पता था कि उसी विभाग के उसके सहयोगी उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और फिर भी उसने अंतरिम राहत पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया उक्त तर्क पूरी तरह से गलत है। हालाँकि पंजाब सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को साक्षात्कार की तारीख 16 फरवरी, 2004 को सूचित की गई थी, लेकिन आयोग या पंजाब सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 2004 को याचिकाकर्ता का साक्षात्कार करने के लिए कोई संचार नहीं किया गया था। दाखिल जवाब में दिए गए कथन के अनुसार, उस तारीख को चयन समिति विचार किए जाने वाले अधिकारियों की सूची पर मतभेद के कारण कोई कार्य नहीं कर सकी। आयोग द्वारा दाखिल जवाब से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 12 अप्रैल, 2004 के अपने पत्र के माध्यम से चयन समिति की बैठक निर्धारित करने की मांग की थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 12 अप्रैल, 2004 को भी राज्य सरकार को निर्धारित तिथि की जानकारी

नहीं थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को आयोग या राज्य सरकार द्वारा विचार की तारीख के बारे में सूचित नहीं किया गया है। यदि प्रत्यर्थी नं. 7 या दो अन्य उम्मीदवारों को चयन समिति की बैठक के बारे में पता चला है और उन्होंने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है, उस आधार पर बैठक की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं दी जा सकती है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने नहीं बल्कि अन्य उम्मीदवारों ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, वास्तव में बैठक की जानकारी की कमी को दर्शाता है। अन्यथा भी, धारणाओं, अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, बैठक की तारीख की जानकारी का श्रेय याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है।

(30) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण द्वारा पैरा सं. दिनांक 3 फरवरी, 2006 के आदेश के 27 को अलग रखा गया है। प्रत्यर्थी सं. के नाम की सिफारिश करने वाली चयन समिति की सिफारिशें। 7 और प्रत्यर्थी नं. अधिसूचना के आधार पर 7 अनुलग्नक पी-1 को भी रद्द कर दिया गया है। तथापि, प्रत्यर्थी की सिफारिश और नियुक्ति के संबंध में सं. 8, हम आयोग को सभी दस उम्मीदवारों की तुलनात्मक उपयुक्तता पर विचार करने और मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता देते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता, प्रतिवादी नं। न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के अनुसार 7 और अन्य योग्य उम्मीदवार। यदि आयोग तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर पाता है कि प्रत्यर्थी नं. 8 को चयन सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाना है, उसकी सिफारिश और नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी और अलग कर दी जाएगी। आयोग को अधिमानतः आज से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

(31) रिट याचिका का खर्च के बारे में किसी आदेश के बिना तदनुसार निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणि क होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा